

प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का स्वामित्व / मूल्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद - चंदौसी मार्ग (एन0 एच0 - 509) के कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 तक बायीं पटरी एवं कि0 मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 तक दायीं पटरी पर गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 0.4323 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि पर स्वामित्व लोक निर्माण विभाग/एन0एच0ए0आई0 का है तथा वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति हेतु वांछित वनीकरण की योजना तथा वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का भार वहन करने एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों वन भूमि के नेट प्रेजेंट वैल्यू (एन० पी० वी०) का भुगतान यदि आवश्यक होगा तो यह शर्तें मान्य है और उनका अनुपालन किया जायगा आपेक्षित संरक्षित क्षेत्र / भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।



(प्रभाष कुमार)
प्रबंधक
टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
मुरादाबाद।

(अरविंद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग
सम्भल।